

**CERTIFICATE IN SOCIAL WORK AND
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

Term-End Examination

December, 2011

**MSW-032 : SOCIAL WORK AND CRIMINAL
JUSTICE**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

*Note : (i) Answer any FIVE of the following questions in
about 300 words each.*

(ii) All questions carry equal marks.

-
1. What is Evidence ? Classify various types of evidences. 20
 2. Discuss the salient features of the Indian Penal Code. 20
 3. Explain the characteristics of Indian Police Organization. 20
 4. Enlist the statutory obligation of the Defense Counsel. 20
 5. Highlight the rights of the accused for the speedy and fair delivery of justice. 20

6. What are the constitutional rights of the accused ? Discuss. 20
 7. Define probation. Discuss in brief the origin and development of probation system. 20
 8. Discuss the salient features of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000. 20
-

समाज कार्य एवं दंड न्याय प्रणाली में प्रमाणपत्र

सत्रांत परीक्षा

दिसंबर, 2011

एम.एस.डब्ल्यू.-032 : समाज कार्य एवं दंड न्याय

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

- नोट : (i) निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक) लगभग 300 शब्दों में दीजिए।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. साक्ष्य (evidence) क्या होता है? साक्ष्यों के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। 20
2. भारतीय दंड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 20
3. भारतीय पुलिस संगठन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 20
4. बचाव पक्ष के वकील के कानूनी दायित्वों का उल्लेख कीजिए। 20
5. न्याय के तीव्र और उचित वितरण के लिए अभियुक्त के अधिकारों पर प्रकाश डालिए। 20

6. अभियुक्त के संवैधानिक अधिकार क्या हैं? चर्चा कीजिए। 20
7. परिवीक्षा को स्पष्ट कीजिए। परिवीक्षा के उद्भव और विकास की संक्षेप में चर्चा कीजिए। 20
8. किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2000 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। 20
-